न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – श्री पंकज शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
022/2015	28.04.2015	16.11.2017

अनवान

1. श्यामसुन्दर पिता बंशीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 51 वर्ष पेशा काश्त निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
2. बदामी देवी बेवा बंशीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 70 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0 पेशा काश्त

वादीगण

बनाम

1. अम्बालाल पिता भवानी शंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 65 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त।
2. रामेश्वर पिता भवानी शंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 55 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त।
3. दुर्गा पिता भवानी शंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 60 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त। (विलोपित)
4. रामा पिता पिता भवानी शंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 53 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त।
5. मथरा पिता भवानी शंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 58 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त।
6. भरत कुमार पिता रामपाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 40 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त हाल मुकाम
7. ईश्वर लाल पिता मॉगीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 70 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त हाल मुकाम महेन्द्रगढ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
8. शिवशंकर पिता मॉगीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 64 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

9. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

प्रतिवादीगण

–:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 88, 89 रा0टि0ए0 ::–

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के बाबत् विभाजन आराजीयात के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पहुँना तहसील राशमी के बेरून हल्का आबादी में स्थित हाल आराजी संख्या 1456 रकबा 4–07 बीधा लगानी, 3.04 रूपय, आराजी संख्या 1460 रकबा 26–12 बीधा लगानी 19.27 रूपया कुल किता 2 कुल किता रकबा 30–19 बीघा लगानी 22.31 रूपया स्थित दर्ज रेकार्ड है। वादगत आरजीयात का राजस्व अभिलेख अनुसर हम वादीगण का 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 से 5 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 6 का 5/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/9 हिस्सा से संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। तथा प्रतिवादी संख्या 7 ईश्वर लाल का 1/9 हिस्सा एसबीबीजे शाखा राशमी के नाम रहन दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी संयुक्त है किन्तु बाप दादाओं द्वारा आपसी रजामंदी में हिस्सा अनुसार आराजीयात का बंटवाडा है और उसी अनुसार हम पक्षकार काबिज है और काश्त कर रहे है। खातेदारी संयुक्त होने से एवं कानूनन बंटवाडा न होने से हिस्सा अनुसार लगान वसूल करने एवं कराने में बराबर झगडा बना रहता है तथा अपने अपने हिस्से की आराजीयात को उपजाऊ नहीं कर पा रहे है। इसलिए हिस्सा खातेदारी अनुसार हम पक्षकारान सभी का कानूनन बंटवाडा कराया जाकर अलग अलग खाताबंदी की घोषणा कराई जाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान्

कार्यालय सहायक कलक्टर राशमी चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4/01
(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

से प्रार्थना है कि वाके ग्राम पहुँना तहसील राशमी के बेरून हल्का आबादी में स्थित हाल आराजी संख्या 1459 रकबा 4–07 बीघा लगानी 3.04 रूपया, आराजी संख्या 1460 रकबा 26–12 बीघा लगानी 19.27 रूपया कुल किता 2 कुल रकबा 30–19 बीघा का पक्षकारान के बीच हक कब्जे काश्त अनुसार एवं हिस्सा खातेदारी अनुसार आराजीयात विभजान की डिक्री बक्षाई जावें एवं उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में खाता बंदी किये जाने की डिक्री बक्षाई जावें।

इस पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन के तलब किया गया। दिनांक 11. 07.2015 को आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई, एवं तहसीलदार राशमी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वादीगण का हिस्सा हक व कब्जे अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने बाबत् आदेशित किया गया। इस पर तहसीलदार राशमी द्वारा दिनांक 21.07.2016 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अपने पत्रांक/राजस्व/2016/73 दिनांक जुलाई 2016 से प्रेषित किया गया है, जो रिकार्ड पर उपलब्ध है। दिनांक 15.11.2017 को वादी संख्या 1 श्याम सुन्दर पिता बंशीलाल शर्मा स्वयं हाजिर आये एवं मौका कमिश्नर तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। मौका कमिश्नर तहसीलदार राशमी द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है, अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है, एवं बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण के डिक्री आदेश इस आशय का दिया जाता है कि मौजा पहुँना पटवार

कार्यालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

हल्का पहुँना तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1459 रकबा 4-07 बीघा आराजी संख्या 1460/1 रकबा 5-19 बीघा कुल किता 2 कुल किता रकबा 10-06 बीघा का श्यामसुन्दर पिता बंशीलाल बदामी देवी बेवा बंशीलाल ब्राहम्ण सा0देह खातेदार, आराजी संख्या 1460मी0 अम्बालाल रामेश्वरलाल रामा मथरा पिता भवानीशंकर ब्राहम्ण सा0 देह1/4 भरतकुमार पिता रामपाल ब्राहम्ण सा0 देह 5/12 ईश्वरलाल पिता मॉगीलाल ब्राहम्ण सा0 महेन्द्रगढ तहसील सहाडा 1/6 शिवशंकर पिता मॉगीलाल ब्राहम्ण सा0देह 1/6 को तन्हॉ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग की जावें एवं नक्शे में आवश्यक तरमीम की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। पर्चा अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर रहें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला चित्तौड़गढ

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई
(रूल्स 18-21)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

अनवान

1. श्यामसुन्दर पिता बंशीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 51 वर्ष पेशा काश्त निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
2. बदामी देवी बेवा बंशीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 70 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0 पेशा काश्त

वादीगण

बनाम

1. अम्बालाल पिता भवानी शंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 65 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त।
2. रामेश्वर पिता भवानी शंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 55 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त।
3. दुर्गा पिता भवानी शंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 60 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त। (विलोपित)
4. रामा पिता पिता भवानी शंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 53 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त।
5. मथरा पिता भवानी शंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 58 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त।
6. भरत कुमार पिता रामपाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 40 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त हाल मुकाम
7. ईश्वर लाल पिता मॉगीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 70 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त हाल मुकाम महेन्द्रगढ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
8. शिवशंकर पिता मॉगीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु 64 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0पेशा काश्त
9. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

प्रतिवादीगण

-:: <u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 88, 89 रा0टि0ए0</u> ::-

प्रकरण संख्या :- <u>022/2015</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु बहाजिरी अधिवक्ता वादी श्री रतनलाल सांखला मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है, एवं

16/11/17
(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिया जाता है कि मौजा पडुँना तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1459 रकबा 4-07 बीघा आराजी संख्या 1460/1 रकबा 5-19 बीघा कुल किता 2 कुल किता रकबा 10-06 बीघा का श्यामसुन्दर पिता बंशीलाल बदामी देवी बेवा बंशीलाल ब्राहम्ण सा0देह खातेदार, आराजी संख्या 1460मी0 अम्बालाल रामेश्वरलाल रामा मथरा पिता भवानीशंकर ब्राहम्ण सा0 देह 1/4 भरतकुमार पिता रामपाल ब्राहम्ण सा0 देह 5/12 ईश्वरलाल पिता मॉंगीलाल ब्राहम्ण सा0 महेन्द्रगढ तहसील सहाडा 1/6 शिवशंकर पिता मॉंगीलाल ब्राहम्ण सा0देह 1/6 को तन्हॉं खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग की जावें एवं नक्शे में आवश्यक तरमीम की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। पर्चा अंतिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 16.11.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला चित्तौड़गढ
राशमी

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयत	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान	Nil		खर्चा गवाहान	Nil	
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

16/11/17
(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला चित्तौड़गढ
राशमी

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी, चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official